झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–927 वर्ष 2017

सिद्धेश्वर प्रसाद, पे0 स्वर्गीय भोला महतो, वर्तमान निवासी–देवीमण्डप रोड, हेसल, डाकघर–हेहल, थाना–सुखदेवनगर, जिला–रांची, झारखण्ड

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य, सचिव, उद्योग विभाग के माध्यम से जिनका कार्यालय नेपाल हाउस बिल्डिंग, डोरण्डा, डाकघर, थाना–डोरण्डा, जिला–रांची में है, और अन्य

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– कोई नहीं

राज्य के लिएः– श्री डी0के0 दुबे, वरिष्ठ एस0सी0–I

ए0जी0 के लिएः– श्री अमित कुमार वर्मा, अधिवक्ता

09/14.08.2018 रिट याचिका में याचिकाकर्ता को 5700/– रूपये की सीमा तक वेतन संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया गया है, जो उन्हें तब भुगतान किया गया था जब वह रियरिंग तकनीशियन/ओवरसियर के पद पर पदस्थापित थे।

2. आदेश दिनांक 14.06.2018 से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया गया था जो उस समय तक योजना और वित विभाग में लंबित था और राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान वकील के अनुरोध पर मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। अब योजना एवं वित विभाग की ओर से 20 जुलाई, 2018 को एक हलफनामा दायर किया गया है। इस हलफनामे में यह दलील दी गई है कि 29 जून, 2018 को योजना–सह–वित विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन संरक्षण के लिए आवश्यक मंजूरी दी गई है। एच0एस0एच0 निदेशालय उद्योग विभाग द्वारा 11.07.2018 को दायर पूरक प्रति–हलफनामे में, अधिसूचना दिनांक 04.07.2018 की एक प्रति रिकॉर्ड पर लाया गया है। इस अधिसूचना द्वारा याचिकाकर्ता को उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान किया गया है।

3. याचिकाकर्ता का ाविद्वान वकील अनुपस्थित हैं।

4. उपर्युक्त हलफनामों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)